न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र / सरफेसी एक्ट / 2021 / 66

पंजाब नेशनल बैंक शाखा रूदावल, प्राधिकृत अधिकारी भरतपुर ......प्रार्थी

बनाम

1. मै0 श्यामलाल किराना स्टोर
2. प्रोपराईटर श्री श्यामोली

......अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 18.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.08.2019 को राशि रू. 1500000/— (शब्देन पन्द्रह लाख रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में बंधक अचल सम्पत्ती EQM आवासीय खाता सं0 418, गॉव रूदावल भरतपुर जिसकी 302.8 स्कवायर मीटर सीमा, उत्तर में 20.9 फीट इस तरफ सीयाराम गुर्जर का मकान, दक्षिण में 20.9 फीट इस तरफ रास्ता 15 फीट, पूर्व में 16.10 फीट इस तरफ रोड बयाना से रूदावल, तथा पश्चिम में 17 फीट इस तरफ रास्ता 10 फीट, पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति EQM आवासीय खाता सं0 418, गॉव रूदावल, बंधक रखी जाकर बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 21.08.2019

राशि रू. 1500000/– (शब्देन पन्द्रह लाख रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 05.04.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में बकाया ऋण राशि रू. 1876533/– (शब्देन अठारह लाख छियत्तर हजार पॉच सौ तेतीस रू. मात्र) दिनांक 05.04.2021 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु नोटिस भेजा गया है, जिसकी प्राप्ति पर स्वयं ऋणी श्यामलाल के हस्ताक्षर है। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा कोई भी बकाया राशि का चुकारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय बंधक रखी गई बंधक अचल सम्पत्ती EQM आवासीय खाता सं0 418, गॉव रूदावल भरतपुर जिसकी 302.8 स्कवायर मीटर सीमा, उत्तर में 20.9 फीट इस तरफ सीयाराम गुर्जर का मकान, दक्षिण में 20.9 फीट इस तरफ रास्ता 15 फीट, पूर्व में 16. 10 फीट इस तरफ रोड बयाना से रूदावल, तथा पश्चिम में 17 फीट इस तरफ रास्ता 10 फीट, जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय के प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर